

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 664 / 2005

संस्थित दिनांक-30.12.05

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. भगवानसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाट आयु 70 साल
2. राजेश पुत्र भगवानसिंह आयु 52 साल
3. धर्मवीरसिंह पुत्र भगवानसिंह आयु 38 साल
4. बरफीबाई पत्नी भगवानसिंह आयु 70 साल
निवासीगण ग्राम किरावली जिला आगरा उ0प्र0
5. मनीषा पत्नी सतेन्द्रसिंह पुत्री भगवानसिंह आयु 36 साल
निवासी विचपुरी जिला अलीगढ उ0प्र0

.....अभियुक्तगण

—:: निर्णय ::—

[आज दिनांक 24.04.17 को घोषित]

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 498 ए के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 25.04.01 से 18.04.04 के बीच ग्राम किरावली जिला आगरा धर्मवीर के मकान में फरियादी श्रीमती मनीषा उर्फ मंजू के पति और पति के नातेदार रहते हुए दहेज के रूप में एक मार्शल गाड़ी की मांग की और उक्त मांग पूर्ण न होने पर फरियादिया श्रीमती मनीषा उर्फ मंजू को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता का व्यवहार किया।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत है कि फरियादी अभियुक्त धर्मवीर की पत्नी हैं और शेष अभियुक्तगण फरियादी के ससुराल पक्ष के हैं।
3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी मंजू की शादी दिनांक 25.04.2001 को अभियुक्त धर्मवीर के साथ हिन्दू रीतिरिवाज के अनुसार संपन्न हुई जिसमें फरियादी के पिता द्वारा अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दहेज दिया था। शादी के बाद फरियादी जब ससुराल गयी तो उसे

24.04.2017
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड

प्रारंभ में अच्छे से रखा किन्तु वर्ष 2003 के जून माह में अभियुक्त बरफीबाई (सास), भगवानसिंह (ससुर), राजेशसिंह (जेठ), मनीषाबाई (ननद) फरियादी से कहने लगे कि उसके पिता ने कम दहेज दिया है। फरियादी के पिता पैसे वाले हैं और कम दहेज दिया है, यह बात बोलकर एक मार्शल गाडी की मांग करने लगे। फरियादी ने मना किया तो बार बार कहने पर फरियादी ने अपने पिता को फोन किया, उसका भाई अजीतसिंह दिनांक 15.06.04 को फरियादी की ससुराल आया किन्तु ससुराल वाले नहीं माने और मारपीट करते रहे तथा खाना नहीं देते थे और जान से मारने की धमकी भी देते थे। कहते थे कि धर्मवीर की दूसरी शादी करा देंगे। दिनांक 22.07.04 को अभियुक्त मनीषा एवं बरफीबाई ने बाल पकड़कर पटक दिया और ससुर भगवानसिंह ने कहाकि चलो इसको पिता के घर छोड़ आयेंगे तब दिनांक 27.04.04 को बिना खाना खिलाए सभी सामान छीनकर पहने हुए कपड़ों में कमाण्डर गाडी से अभियुक्तगण फरियादी के मायके ग्राम कठवा हाजी लाए और पिता से कहाकि अपनी लडकी को यहीं रखो, हम नहीं रखेंगे जब तक तुम मार्शल कार लाकर नहीं दोगे और जाते जाते धौंस दी कि मार्शल कार दहेज में ले आना तभी रखेंगे अन्यथा ससुराल मत आना। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क0-242/04 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाए गए। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।


4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण ने दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाए जाने का कथन किया है।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 25.04.01 से 18.04.04 के बीच ग्राम किरावली जिला आगरा धर्मवीर के मकान में फरियादी श्रीमती मनीषा उर्फ मंजू के पति और पति के नातेदार रहते हुए दहेज के रूप में एक मार्शल गाडी की मांग की और उक्त मांग पूर्ण न होने पर फरियादिया श्रीमती मनीषा उर्फ मंजू को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता का व्यवहार किया।?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अजीतसिंह अ0सा0 1, हाकिमसिंह अ0सा0 2, श्यामकरन शर्मा अ0सा0 3, रामनिवास अ0सा0 4, केशवदत्त शर्मा अ0सा0 5, राजासिंह अ0सा0 6 तथा श्रीमती मंजू ब0सा0 7 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से बचाव में साक्षी भरतसिंह ब0सा0 1 को साक्ष्य में पेश किया है।


राजिक मजिस्ट्रेट प्रथम
नगर निगम निवासी


7. प्रकरण में फरियादी श्रीमती मंजू अ0सा0 7 यह कथन करती है कि उसकी शादी वर्ष 2003 में ग्राम कठवा हाजी से हुई थी। शादी में पिता राजासिंह ने गोदरेज अल्मारी, सोफा, टी0व्ही0, फ्रिज, डबल बैड, मोटरसाईकिल, अंगूठी आदि दस तोला सोना व दो लाख रुपये नगद दिए थे। यह कथन करती है कि शादी के बाद वह अपनी ससुराल ग्राम किरावली गयी। ससुराल में शुरुआत में अच्छे से रखा फिर उसका एकसीडेंट हो गया। यह कथन करती है कि शादी के दूसरी साल उसका एकसीडेंट हो गया तब से अभियुक्तगण कहते थे कि दहेज ले आओ, मार्शल गाडी ले आओ और कुछ नहीं कहा। यह कथन करती है कि उसके ससुर ने उक्त मांग की। यह भी कथन करती है कि ससुराल में उसके पति व सास ने मारपीट की थी इसके अलावा कुछ नहीं कहते थे। साक्षी यह कथन करती है कि एकसीडेंट के बाद एक साल तक वह अपनी ससुराल में रही और उसके बाद से अपने पिता के पास रह रही है। साक्षी यह बताती है कि उसे लेने नहीं आते थे। यह भी कथन करती है कि ससुराल से उसके सास ससुर ने उसे अच्छी तरह से भेजा था। फरियादी मंजू द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन न किए जाने के कारण उसे अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए।

8. फरियादी सूचक प्रश्नों में यह स्वीकार करती है कि दिनांक 22.07.04 को उसकी ननद व सास ने उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और ससुर ने कहा कि इसके पिता के घर छोड़ आओ तभी पिता मार्शल कार देंगे। यह भी स्वीकार करती है कि दिनांक 24.04.07 को दोपहर 11 बजे उसे बिना खाना खिलाए सभी सामान छीनकर पहने कपड़ों में खुद की कमाण्डर जीप से अभियुक्तगण उसके मायके कठवा हाजी छोड़ गए थे और कहा था कि तुम अपनी लडकी को अपने पास रखो, हम नहीं रखेंगे जब तक मार्शल कार नहीं दोगे। यह भी स्वीकार करती है कि जाते समय अभियुक्तगण कह रहे थे कि मार्शल कार दहेज में लेकर आयेगी तभी रखेंगे अन्यथा नहीं रखेंगे। फरियादी द्वारा अपने सूचक प्रश्नों में अभियोजन के सुझाव को स्वीकार किया गया है। उक्त तथ्य फरियादी के नैसर्गिक कथन की श्रेणी में नहीं आते हैं बल्कि उसके मुख्य परीक्षण में किए गए कथन कि उसे ससुराल से सास ससुर ने अच्छी तरह से भेजा था, के विपरीत हैं। फरियादी मंजू अ0सा0 7 जो अभियोजन के सुझाव के अनुसार दिनांक 27.04.04 को अभियुक्तगण द्वारा उसके मायके छोड़ आने का कथन करती है वह प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह बताने में अस्मर्थ है कि ससुराल से आखिरी बार कैसे आई थी और स्वतः कथन करती है कि दस साल हो गए हैं इसलिए याद नहीं है फिर कथन करती है कि आगरा के अस्पताल से आई थी। इस प्रकार से फरियादी का यह कथन अभियोजन के सुझाव में स्वीकार किए गए तथ्यों के खण्डन स्वरूप है जहां फरियादी उसके मायके लौटने के संबंध में विरोधाभासी कथन कर रही है।

20/04/2005
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
 नैसर्गिक विभागाध्यक्ष

9. प्रकरण में फरियादी मंजू अ०सा० 7 जो अपने मुख्य परीक्षण में यह बताती है कि शादी के बाद ससुराल में पहले अच्छे से रखा बाद में उसका एकसीडेंट हो गया और एकसीडेंट के एक साल बाद तक अपने ससुराल में रही उसके बाद से अपने पिता के पास रह रही है। प्र०पी० 6 की लिखित रिपोर्ट फरियादी द्वारा पुलिस को किया जाना बताया है और उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित किए हैं जिसमें फरियादी की शादी दिनांक 25.04.2001 को होने का तथ्य लेख किया गया है। हाकिमसिंह अ०सा० 2 व अजीतसिंह अ०सा० 1, जो कि फरियादी के भाई हैं, वे फरियादी मंजू की शादी वर्ष 2001 में होने का तथ्य बताते हैं और फरियादी के कथन में प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 के अनुसार उसका एकसीडेंट वर्ष 2002 में हुआ था, कण्डिका 3 के अनुसार वर्ष 2002 से ही उसका इलाज चल रहा है, कण्डिका 3 में ही स्वीकार करती है कि उसका मानसिक चिकित्सालय ग्वालियर व आगरा में इलाज चला और स्वीकार करती है कि वर्ष 2002 से अब तक बीमार रहती है। यह भी स्वीकार करती है कि वर्तमान में भी उसका इलाज चल रहा है। ऐसे में फरियादी के कथन अनुसार यदि उसका कथन एक रूप में पढा जावे तो दुर्घटना वर्ष 2002 में होने के एक साल बाद अर्थात् वर्ष 2003 से फरियादी अपने पिता के पास मायका ग्राम कंठवा हाजी में निवास कर रही है। ऐसी दशा में उसके अभिकथित घटना दिनांक 22.07.04 एवं 27.04.04 को उसकी ससुराल में अभिकथित दहेज की मांग के लिए शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के संबंध में तथ्य उत्पन्न होना संदिग्ध हो जाते हैं।

10. फरियादी श्रीमती मंजू अ०सा० 7 जो अपने मुख्य परीक्षण में यह बताती है कि कथित मार्शल कार की मांग उसके ससुर ने की थी और उसके पति तथा सास ने मारपीट की थी। यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 के अंत में बताती है कि उसकी सास खोपड़ी में थप्पड़ मारती थी और पति खीचकर बाहर कर देता था और कहता था कि अपने पिता के घर जा। किन्तु उक्त तथ्य अभिकथित रिपोर्ट प्र०पी० 6 में लेख है या नहीं इस संबंध में जानकारी का अभाव व्यक्त करती है। प्र०पी० 6 में ऐसा कोई तथ्य उल्लेखित नहीं है कि सास खोपड़ी में थप्पड़ मारती थी और पति खीचकर बाहर कर देता था। साक्षी यह भी बताने में कण्डिका 4 में अस्मर्थ है कि उससे अभिकथित दहेज की मांग किस सन (साल) में की गयी, कण्डिका 4 में ही अभिकथित मारपीट की घटना का सन, संवत् व महीना बताने में अस्मर्थ है। फरियादी द्वारा अभिकथित मारपीट के संबंध में कोई भी शिकायत या परिवाद सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष ससुराल रहने के समय किया गया हो, इस संबंध में कोई भी तथ्य अमिलेख पर नहीं हैं। साक्षी के अभिकथन में उसके कथित मारपीट के संबंध में कहां चोट आई तथा चोट का कोई इलाज कराया गया हो, इस संबंध में भी कोई समर्थनकारी साक्ष्य अमिलेख पर नहीं हैं। न्यायदृष्टांत श्रीमती राजरानी विरुद्ध दिल्ली प्रशासन एआईआर 2000 एस०सी० 3559 में मान० सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि " संहिता की धारा 498 ए के प्रावधानों के संबंध में जहां मामले में कूरता का विनिश्चय करना हो वहां न्यायालय


अभिकथित रिपोर्ट प्र०पी० 6 में

को आक्षेपों/आरोपों के संबंध में उनकी गंभीर प्रकृति के संबंध में तथ्यों को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है।

11. प्रकरण में राजासिंह अ०सा० 6 जो कि फरियादी के पिता है, यह कथन करते हैं कि उसकी लडकी मंजू की शादी 15-16 साल पहले धर्मवीर से हुई थी। धर्मवीर व उसके ससुराल पक्ष के लोग उनसे 50 हजार रुपये की मांग करते और कहते थे कि 50 हजार रुपये दो तमी रखेंगे, उसकी लडकी को घर छोड़ गए तब से लडकी उनके साथ रह रही है। साक्षी द्वारा किया गया कथन अभियुक्तगण द्वारा अभिकथित मार्शल कार की मांग से भिन्न 50 हजार रुपये की मांग का नया तथ्य बताते हैं। यह साक्षी भी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया जो अपने अभिसाक्ष्य में सूचक प्रश्नों में स्वीकार करता है कि मंजू ने बताया था कि उसके घर के सब लोग मार्शल गाडी की मांग कर रहे हैं। साक्षी यह भी स्वीकार करते हैं कि उसकी लडकी ने फोन कर बताया था कि अभियुक्तगण मारपीट कर दहेज में मार्शल की मांग कर रहे हैं, इसके बाद उनका लडका फरियादी को ले आया तब से फरियादी उनके यहां रह रही है। इस प्रकार से इस साक्षी का अभिकथित दहेज की मांग के लिए अभियुक्तगण का कूरतापूर्ण आचरण किया जाना नैसर्गिक कथन न होकर अभियोजन द्वारा सुझाया गया साक्ष्य है। यह साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह बताने में अस्मर्थ है कि उसकी लडकी ने कथित दहेज की मांग के संबंध में कब बताया था। साक्षी यह कथन करता है कि जब रिपोर्ट की थी तब बताया था। इस प्रकार से इस साक्षी का अभिसाक्ष्य जो कि सूचक प्रश्नों में शादी के एक साल बाद उसके लडके अजीत के लेने जाने पर फरियादी द्वारा दहेज की मांग के संबंध में बताया जाना और पुनः फरियादी के ससुरालजन अर्थात् अभियुक्तगण द्वारा ले जाने के 4-5 माह बाद फरियादी का फोन आकर कि उसे अभियुक्तगण परेशान कर रहे हैं और कहते हैं कि मार्शल गाडी मंगवा दो, पूर्णतः विपरीत तथ्य हैं क्योंकि इस साक्षी द्वारा अपने पतिपरीक्षण में जब उसकी लडकी ने रिपोर्ट की थी तब बताए जाने का कथन किया है। ऐसे में अभिकथित दहेज की मांग के लिए प्रताडित किए जाने का तथ्य स्वयं साक्षी राजासिंह अ०सा० 6 का नैसर्गिक कथन न होकर विरोधामासी तथ्यों पर आधारित है।

12. प्रकरण में जहां फरियादी मंजू अ०सा० 7, राजासिंह अ०सा० 6 दोनों अभियोजन के द्वारा सुझाए जाने पर अभिकथित मार्शल कार की मांग के लिए फरियादी के प्रति कूरतापूर्ण आचरण करने का तथ्य स्वीकार करते हैं वहीं दूसरी ओर राजासिंह अ०सा० 6 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में शपथ पत्र प्र०डी० 3 दिनांक 09.12.05 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर स्वीकार करते हैं जिसमें फरियादी का उसके पति के पास सुखी होने का तथ्य लेख है। इसके अतिरिक्त फरियादी मंजू के द्वारा प्रकरण के अभिलेख में दिनांक 09.12.05 एवं दिनांक 26.12.05 प्रस्तुत शपथ पत्र अभिलेख पर है जिसमें फरियादी के अपने पति के साथ सुखपूर्वक निवासरत होने का तथ्य लेख है। उपरोक्त शपथ

राजस्थान
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला मिराट, पाली

पत्र फरियादी मंजू अ०सा० 7 एवं राजासिंह अ०सा० 6 के कथनों में अधिरोपित आरोप के संबंध में अभियोजन के मामले को और अधिक संदिग्ध बना देते हैं।

13. फरियादी का भाई अजीत अ०सा० 1 अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करता है कि शादी के बाद अभियुक्त धर्मवीर और साथ में उसकी बहन मंजू का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें धर्मवीर को गंभीर चोट आई तथा मंजू के सिर में चोट आई। इसके बाद धर्मवीर ठीक हो गए थे इसके बाद उसके घर वाले बोले कि तुम्हारी बहन अशुभ आई है और मार्शल गाडी की मांग करते थे और कहते थे कि मार्शल गाडी दोगे तभी मंजू को रखेंगे। साक्षी यह बताता है कि ग्राम किरावली में पंचायत जोड़ी थी जिसमें उसकी बहन को रखने से मना कर दिया था बाद में साक्षी अपनी बहन को ससुराल में छोड़ आए थे। उसके चार पांच दिन बाद उसकी बहन को सास, ससुर व धर्मवीर वापस मायके ले आए थे तभी से उनकी बहन उनके पास रह रही है। यह भी कथन करते हैं कि अभियुक्तगण कह कर गए थे कि मार्शल गाडी दोगे तो लेकर आ जाना। फिर उसके पिता ने मार्शल गाडी देने से मना कर दिया। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह बताता है कि उसकी बहन को शादी के दो वर्ष तक अच्छे से रखा था और वर्ष 2004 में उसकी बहन मंजू ने पिता को फोन से परेशान करने वाली बात बताई थी। यह भी कथन करता है कि फिर उसके पिता ने उसे दूसरे दिन बताया था। साक्षी यह भी कथन करता है कि मंजू की सास, धर्मवीर, ननद मनीषा, राजेश मंजू से कहते थे कि तुम खोजन हो इस कारण से लडके का एक्सीडेंट हुआ और यह बात एक्सीडेंट होने के बाद की है जिसके दो तीन माह बाद दहेज मांगना बताते हैं। साक्षी यह भी कथन करते हैं कि उक्त बात पिता को फोन पर बताई थी, उसे नहीं बताई थी। जबकि पिता राजासिंह अ०सा० 6 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह बताते हैं कि जब रिपोर्ट की थी तब लडकी ने कथित दहेज की मांग के बारे में उन्हें बताया था। फोन से बताने के संबंध में राजासिंह अ०सा० 6 द्वारा कथन नहीं किया गया है। ऐसे में अजीत अ०सा० 1 सर्वप्रथम तो अभियुक्तगण द्वारा अभिकथित दहेज की मांग के संबंध में चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं और द्वितीयतः जो आधार अभियुक्तगण का उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का बताया गया है वह भी साक्ष्य से समर्थित नहीं हैं।

14. साक्षी हाकिमसिंह अ०सा० 2 फरियादी का भाई लगता है जो यह कथन करते हैं कि अभियुक्तगण के घर के लोग कहते थे कि उनके घर में खोजन आयी है जिस कारण से उनके बच्चे (धर्मवीर) का एक्सीडेंट हुआ है और बहन से उल्टे सीधे शब्द बोलते थे। यह कथन करता है कि अभियुक्तगण 2004 में गाडी लेकर आए और फरियादी को घर छोड़ गए थे तथा मार्शल गाडी की मांग कर रहे थे। साक्षी कण्डिका 6 में स्वीकार करते हैं कि जब लडकी/फरियादी को छोड़ने आए तो वह पागल थी फिर कथन करता है कि आरोपीगण ने पागल कर दी थी। इस कथन से यह तथ्य दर्शित है कि जब अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को उसके मायके छोड़ना बताया गया है उस समय

वह स्वस्थ चित्त अवस्था में नहीं थी। जहां तक अभियुक्तगण द्वारा पागल कर देने वाली बात बताई गयी है तो स्वयं राजासिंह अ०सा० 6, अजीत अ०सा० 1 ने इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है। अभिकथित रूप से फरियादी के प्रति क्रूरतापूर्ण आचरण के संबंध में इस साक्षी की साक्ष्य संदिग्ध है।

15. संहिता की धारा 498-ए निम्न प्रकार से उपबंध करती है- "जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

क-जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री की आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है, या

ख-किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसका या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीडित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

16. उपरोक्त प्रावधान के संबंध में न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत मंजूराम कालिता विरुद्ध असम राज्य (2009) 13 एस०सी०सी० 330 : ए०आई०आर० 2009 एस०सी० (सप्ली०) 2058 की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 498 ए को वर्गीकृत कर निम्न रूप में क्रूरता के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट किया-

1-ऐसा कोई जानबूझकर किया गया आचरण जो कि ऐसी प्रकृति का है जिससे उक्त स्त्री आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो।

2-ऐसा जानबूझकर किया गया आचरण जो कि उक्त स्त्री को गंभीर उपहति कारित करने की प्रकृति का हो।

3-ऐसा जानबूझकर किया गया कोई भी कृत्य जो कि ऐसी स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को, चाहे मानसिक या शारीरिक हो, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की प्रकृति का हो।

न्यायदृष्टांत मंजूराम (उपरोक्त) की कण्डिका 22 में भी इस संबंध में महत्वपूर्ण है जो शब्दशः है कि 22. "Cruelty" for the purpose of Section 498-A I.P.C. is to be established in the context of S. 498-A IPC as it may be different from other statutory provisions. It is to be determined/ inferred by considering the conduct of the man, weighing the gravity or seriousness of his acts and to find out as to whether it is likely to drive

02/05/15
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महाराष्ट्र

the woman to commit suicide etc. It is to be established that the woman has been subjected to cruelty continuously/persistently or at least in close proximity of time of lodging the complaint. Petty quarrels cannot be termed as "cruelty" to attract the provisions of Section 498-A IPC. Causing mental torture to the extent that it becomes unbearable may be termed as cruelty."

17. न्यायदृष्टांत— शैलेन्द्र सिंह वि. म.प्र.राज्य 2005(2) एम.पी.एल.जे. पृष्ठ 228

में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी महिला पर किया गया प्रत्येक प्रहार क्रूरता की परिभाषा में केवल उसी स्थिति में आयेगा जब यह महिला को आत्महत्या करने के लिये गहरी क्षति पहुँचे या उसके महत्वपूर्ण अंगों को खतरा उत्पन्न करने या दहेज हेतु उत्पीड़न देने के लिये प्रयुक्त किया जाये।" इस प्रकरण में फरियादी मंजू अ०सा० 7 के द्वारा अभिकथित घटना के समय उसके ससुराल में होने के तथ्य के संबंध में ही विरोधाभासी कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त अभिलेख पर फरियादी मंजू के मानसिक रूप से बीमार रहने का तथ्य मौजूद है। अंतिम बार अपने मायके अस्पताल से आने का तथ्य प्रतिपरीक्षण में बताया है न कि अभियुक्तगण द्वारा अभिकथित दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित कर उसे मायके छोड़ने का कथन किया है। फरियादी मंजू अ०सा० 7 अभिकथित मारपीट की घटना का कोई निश्चित समय अर्थात् तारीख, महीना व साल बताने में अस्मर्थ है। यहां तक कि उसकी साक्ष्य दिनांक 23.02.17 के दिन गुरुवार को साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में 22 अक्टूबर 2015 दिन शनिवार होना बता रही है। फरियादी मंजू अ०सा० 7 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में स्वीकार करती है कि एकसीडेंट के बाद सन 2002 से ससुराल में कोई व्यक्ति उसके पास नहीं आया और स्वतः कथन करती है कि दो माह पूर्व पति को मायके में घर से निकलते देखा था। ऐसे में फरियादी की परस्पर विरोधाभासी एवं अपुष्ट साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिरोपित आरोप के संबंध में निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। प्रकरण में अन्य साक्ष्य स्वयं फरियादी के कथनों के समर्थन न करते हुए परस्पर विरोधाभासी है। स्वयं पिता राजासिंह अ०सा० 6 भी पक्षद्रोही हो गए हैं। इसके अतिरिक्त फरियादी मंजू अ०सा० 7 व राजासिंह अ०सा० 6 के शपथ पत्र दिनांक 09.12.15 अभियुक्तगण पर अधिरोपित आरोपों के विपरीत हैं और उनको खण्डित करते हैं।

18. प्रकरण में जहां फरियादी अभिकथित रूप से उसे 2004 में दिनांक 27.04.04 को बिना खाना खिलाए सामान छीनकर पहने हुए कपड़ों में मायके छोड़ जाने का कथन करती है उसके विपरीत अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में दिनांक 28.01.09 को फरियादी को मानसिक स्वास्थ्य संस्थान व चिकित्सालय आगरा में भर्ती कराकर दिनांक 01.06.2009 को डिस्चार्ज किए जाने का प्रमाणपत्र प्र०डी० 14 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्र०डी० 15 जो कि फरियादी को उक्त मानसिक चिकित्सालय में दिनांक 28.01.09 को भर्ती कराए जाने के संबंध में है, उस पर भर्ती कराने वाले के रूप में अभियुक्त भगवानसिंह के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित

किए गए हैं। उक्त दस्तावेजों के संबंध में फरियादी मंजू अ०सा० 7 द्वारा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 व 4 में उसके आगरा मानसिक अस्पताल में इलाज होने का तथ्य बताया गया है। राजासिंह अ०सा० 6 भी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में फरियादी मंजू का मानसिक चिकित्सालय ग्वालियर में इलाज होना स्वीकार करते हैं। यद्यपि मानसिक अस्पताल आगरा में इलाज की जानकारी न होना बताते हैं किन्तु यह स्वीकार करते हैं कि मंजू वर्तमान में दवाई खा रही है। ऐसे में जहां अभियुक्तगण पर फरियादी को उसके ससुराल से निकालकर मायके छोड़ आने का कथन किया गया है वहीं वर्ष 2009 में दिनांक 28.01.09 को उसे मानसिक चिकित्सालय आगरा में अभियुक्त भगवानसिंह द्वारा भर्ती कराए जाने के तथ्य को कोई चुनौती नहीं दी गयी है। इस प्रकार से अभिकथित रूप से अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को कथित दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित किए जाने एवं घर से निकाल देने का तथ्य संदिग्ध हो जाता है।

19. प्रकरण में फरियादी मंजू अ०सा० 7 द्वारा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में रिपोर्ट प्र०पी० 6 गोहद में टाईप कराए जाने का कथन करती हैं। साक्षी इसी कण्डिका में बताती है कि उन्होंने रिपोर्ट प्र०पी० 6 पर हस्ताक्षर कठवां हाजी अर्थात् उसके मायके में किए थे। साक्षी अभिकथित हस्ताक्षर चाचा मंगलसिंह के सामने करना बताती है जो कि पुलिस में एडीशनल एस०पी० रहे हैं। पुलिस साक्षी रामनिवास सिंह अ०सा० 4 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में यह कथन करते हैं कि उनके द्वारा फरियादी मंजू के द्वारा दिए गए आवेदन पत्र प्र०पी० 6 की जांच हेतु एस०डी०ओ०पी० द्वारा भेजे जाने पर उन्होंने जांच की थी। अभिकथित आवेदनपत्र प्र०पी० 6 के संबंध में तथ्य उल्लेखनीय हैं कि घटना दिनांक 22.07.04 को उसके मायके अभियुक्तगण द्वारा आकर छोड़ देने का तथ्य उल्लेखित किया गया है और कथित रिपोर्ट उक्त घटना के बाद दिनांक 29.07.04 को लेख कराया जाना जिस पर बाद में काटकर 14.08.2004 लेख किया गया है। रामनिवास अ०सा० 4 उक्त आवेदन पत्र उन्हें दिनांक 03.09.04 को प्राप्त होना बताते हैं ऐसे में कथित घटना के समय से एक माह से भी अधिक समय बाद कार्यवाही किया जाना उसकी सत्यता के संबंध में संदेह उत्पन्न कर देते हैं। प्रकरण में प्राथमिकी दिनांक 03.09.04 को लेख की गयी है और फरियादी का कोई चिकित्सीय परीक्षण भी नहीं कराया गया है। कथित मारपीट के संबंध में कोई शारीरिक क्षति का साक्ष्य नहीं है। यह साक्षी कण्डिका 4 में यह बताने में अस्मर्थ हैं कि उसका पुलिस ने कोई कथन लिया या नहीं। ऐसे में फरियादी का कथन प्राथमिकी के तथ्यों से समर्थित नहीं है और संदेह उत्पन्न करता है। जहां फरियादी मंजू अ०सा० 7 ग्राम किरावली से उसकी ससुराल से अभियुक्तगण द्वारा मायके कठवां हाजी कमाण्डर गाडी में लाने का तथ्य अभियोजन के सुझाव को स्वीकार कर बताती हैं फिर भी यदि उन्हें बल पूर्वक लाया गया होता तो फरियादी द्वारा प्रतिकार किए जाने के संबंध में पर्याप्त अवसर मौजूद थे, जिसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है। अतः अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी को ससुराल छोड़

जाने का तथ्य मात्र क्षेत्राधिकारता में धारा 498 ए का अपराध पंजीबद्ध किए जाने के लिए दर्शाया जाना प्रतीत होता है।

20. प्रकरण में केशवदत्त अ०सा० 5 व श्यामकरन शर्मा अ०सा० 3 गिरफ्तारी के साक्षी हैं, जिनकी साक्ष्य अधिरोपत आरोप के संबंध में कोई सारवान महत्व नहीं रखती है। बचाव साक्षी के रूप में भरतसिंह ब०सा० 1 को परीक्षित कराया गया जो यह कथन करते हैं कि फरियादी मंजू उर्फ मनीषा की शादी उनके भाई धर्मवीर के साथ वर्ष 2001 में हुई थी और शादी के समय से ही वह मानसिक रूप से अस्वस्थ रही, उसे पागलपन के दौरों आते थे। उन लोगों ने मानसिक चिकित्सालय आगरा एवं ग्वालियर में काफी इलाज कराया जिसके संबंध में चिकित्सीय पर्चे पेश किए हैं जो प्रडी० 4 लगायत 15 के रूप में अभिलेख पर हैं। यह भी कथन किया है कि फरियादी पागलपन की स्थिति में रहती थी और उसके चाचा एडीशनल एस०पी० मंगलसिंह रहे हैं जिन्होंने झूठी रिपोर्ट करा दी। साथ ही मंजू के जीजा सुधीर के घर पंचायत अखवाई, आगरा में होने का तथ्य बताकर 4 लाख 50 हजार रुपये मंजू के पिता को देने की बात हुई थी जो सुधीर के भाई सुनील के पास जमा किए गए थे। लेकिन राजीनामा नहीं हुआ इस कारण से झूठा फंसाए जाने का कथन किया है। अभिकथित राजीनामा के संबंध में राजासिंह द्वारा इंकार किया है, कथित राजीनामा की कोई लेख भी अभिलेख पर नहीं है। जहां तक फरियादी के मानसिक रूप से अस्वस्थ है वह अभियोजन साक्षियों ने स्वीकार किया है। ऐसे में इस साक्षी की अभिसाक्ष्य में फरियादी के इलाज का तथ्य अवश्य प्रमाणित है, शेष तथ्यों के संबंध में कोई सारवान संपुष्टि नहीं है जिसे अभियोजन की साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष दिया जा सकता है।

21. प्रकरण में अभिकथित आरोप के संबंध में सारवान साक्ष्य अभिलेख पर न हो तो ऐसी दशा में दोषसिद्धि मात्र अटकलों के आधार पर किया जाना सुरक्षित एवं न्यायसंगत नहीं है। संहिता की धारा 498क के अधीन कूरता का अपराध गठित किये जाने संबंधी न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णय—
2007(भाग-3)जे.एल.जे.327पी.के.बाचसुपति विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 2008(भाग-2)जे.एल.जे.19 लाखन लाल विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 2008(भाग-1) जे.एल.जे. 346 मगवती बाई विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य तथा 2009 (भाग-1) जे.एल.जे. 291 लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य की ओर आकर्षित होता है जिनमें यह प्रतिपादित किया है कि कूरता और दहेज की मांग के बारे में स्पष्ट और तर्कपूर्ण व विश्वसनीय साक्ष्य हो तभी उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। मात्र अटकलों पर या कल्पनाओं पर या अनुमानों पर निर्णय आधारित नहीं होना चाहिए। न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत Mohd. Hoshan and another v. State of A.P. AIR 2002 SUPREME COURT 3270 : (2002) 7 SCC 414 की ओर आकर्षित होता है जिसमें कण्डिका 6 शब्दशः निम्नानुसार है—

3-4-2005
मजिस्ट्रेट
आदेश

Para 6. "Whether one spouse has been guilty of cruelty to the other is essentially a question of fact. The impact of complaints, accusations or taunts on a person amounting to cruelty depends on various factors like the sensitivity of the individual victim concerned, the social background, the environment, education etc. Further, mental cruelty varies from person to person depending on the intensity of sensitivity and the degree of courage or endurance to withstand such mental cruelty. In other words, each case has to be decided on its own facts to decide whether the mental cruelty was established or not."

22. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 25.04.01 से 18.04.04 के बीच ग्राम किरावली जिला आगरा धर्मवीर के मकान में फरियादी श्रीमती मनीषा उर्फ मंजू के पति और पति के नातेदार रहते हुए दहेज के रूप में एक मार्शल गाडी की मांग की और उक्त मांग पूर्ण न होने पर फरियादिया श्रीमती मनीषा उर्फ मंजू को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता का व्यवहार किया। अतः अभियुक्तगण ~~युक्ति~~ को संहिता की धारा 498 ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

23. अभियुक्तगण की जमानत व बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं।
24. जब्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।
25. अभिरक्षा अवधि के संबंध में धारा 428 दफ़्त का प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

24/04/2015
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

24/4/2015
ए0क0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्य प्रदेश